न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 77 / 2013

वाद दायरी दिनांक : 25 / 02 / 2013

निर्णय दिनांक : 2.5.2018

1. श्रीमती मन्जू देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी कृष्ण गोपाल, उम्र 42 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी धांधोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0 हाल निवासी लदाना तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
2. मधुदेवी पुत्री राधेश्याम पत्नी गोविन्दनारायण, उम्र 30 साल, जाति ब्राह्मण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
3. बृजमोहन पुत्र राधेश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी धांधोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
4. मुकेश पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण, निवासी धांधोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
5. दीपक पुत्र राधेश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी धांधोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
6. कंचनदेवी पत्नी राधेश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी धांधोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– वादीगण

–बनाम–

1. राधेश्याम पुत्र लादूराम, उम्र 70 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी धांधोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. उपपंजीयक, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
4. सत्यनारायण शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल निवासी कृष्णापुरी, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर।

–– प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी

उपखण्ड अधिकारी दूदू

Scanned by CamScanner

उपस्थिति – **श्री पन्नालाल चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 4

श्री नन्दकिशोर मीणा
वकील अप्रार्थीगण/वादीगण

निर्णय दिनांक.....

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 4 ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 विरूद्ध अप्रार्थीगण/वादीगण इस आशय का पेश किया कि उपुर्यक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है जिसमें विवादित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 को जरिये ईकरारनामा दिनांक 13/01/2007 को विकय कर दिया था जिसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नही करने पर प्रतिवादी संख्या 4 ने विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु वाद माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक न0 3 अजमेर कैम्प किशनगढ में प्रस्तुत किया गया जो उनवानी सत्यनारायण बनाम राधेश्याम वाद संख्या 84/2009 है को दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 30/11/2009 को अन्तिम निर्णय कर प्रतिवादी संख्या 4 का दावा डिक्री किया गया जिसकी अपील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय शाखा जयपर में प्रस्तुत की गयी जो खारिज की गयी जिसके विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय भारत में प्रस्तुत की जिसको प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा विड्रो किया गया, इसलिये दिनांक 17/02/2012 को खारिज कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की निगरानी दिनांक 17/02/2012 को माननीय उच्चतम न्यायालय में खारिज होने के बाद प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में पारित प्रथम निर्णय दिनाक 30/11/2009 की पालना में रीडर राजेश गोयल न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय किशनगढ ने दिनांक 14/11/2014 को विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में तहरीर व तकमील कराया गया, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण से साजिश कर उनवानी वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण चलने योग्य नही है, क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 माननीय ए.डी.जे. किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/11/2009 व विकय–पत्र दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

14/11/2014 को निरस्त नही करवा लेते तब तक उनवानी वाद का श्रवणाधिकार न तो माननीय न्यायालय को प्राप्त है और न ही माननीय न्यायालय वादीगण को किसी प्रकार की राहत प्रदान कर सकती है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि वादीनी का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 में खारिज फरमाया जाकर हर्जा खर्चा वादीनी से प्रतिवादी संख्या 4 को दिलवाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होना सही है शेष इबारत गलत है, अस्वीकार हैं। विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 ने किसी को भी बेचान नही किया हैं। विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है, जिसमें वादीगण का हिस्सा निहित हैं। प्रार्थीगण/ वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा हे, उक्त वाद में जिस भूमि का विवाद है, वह प्रार्थी/वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है, माननीय न्यायालय में वादी / प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा कर फोटो चिपकाकर शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, परन्तु न्यायालय के कर्मचारियों की भूलवश पत्रावली गुम हो जाने की वजह से देरी हो गयी अन्यथा इन सबका हिस्सा तहसीलदार व पटवारी रिकार्ड में दर्ज हो जाता। प्रतिवादीगण एक वृद्ध व्यक्ति है व नशा पता करता है, जिसका नाजायज रूप से फायदा उठाकर फर्जी व गलत एग्रीमेन्ट किया है, जिसका वादी/ प्रार्थी को कोई अता पता नही है अगर कानूनन रूप से देखा जावे तो किसी भी पैतृक सम्पति का विक्रय अकेला नही कर सकता हैं। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11(4) मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 तथा जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 04 ने प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

दी0 पेश कर मुख्य रूप से निवेदन किया है कि "उपुर्यक्त उनवानी प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ख.न. 713 रकबा 25 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र से बेचान कर दिया है तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने दुरभिसन्धि करते हुये उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बिना पक्षकार बनाये न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 28/01/2013 को माननीय न्यायालय में निरस्त करने का किसी प्रकार का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही हैं न ही वादीगण द्वारा विकय–पत्र निरस्त करने का किसी भी प्रकार से अनुतोष चाहा गया है, विवादित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 3 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आदेश 20(1) के प्रावधान के प्रतिकूल हैं" आदि तथ्य अंकित कर वादीगण के वाद को आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 के तहत खारिज करवाने का निवेदन किया है, दस्तावेजात के अवलोकन से स्थिति इस प्रकार सामने आती है कि मिलान क्षैत्रफल से साबिक नम्बरान से हाल नम्बरान बनना एवं उनका मिलान होना पाया जाता हैं। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अजमेर कैम्प किशनगढ के निर्णय दिनांक 30/11/2009 के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी में से 05 बीघा 14 बिस्वा आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 को जरिये इकरारनामा दिनांक 13/01/2007 के द्वारा विकय किया गया था, लेकिन इकरारनामा की पालना प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नही किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विरूद्ध वाद बाबत संविदा की विर्निदिष्ट पालना हेतु एक वाद संख्या 84/2009 पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय फास्ट ट्रेक नम्बर 3 अजमेर कैम्प किशनगढ ने सुनवाई करते हुये दिनांक 30/11/2009 को निर्णय पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया गया था कि वह प्रतिवादी संख्या 4 के हक में विकय–पत्र निष्पादित करावें। जब प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय आदेश दिनाक 30/11/2009 की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विकय–पत्र निष्पादित नही करवाया तो जरिये न्यायालय वरिष्ठ रीडर द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के हक में दिनांक 14/11/2014 को विक्रय–पत्र निष्पादित करवाया गया, जो उपपंजीयक दूदू के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 40, पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 2014004759 पर पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

जिल्द संख्या 160 के पृष्ठ संख्या 127 से 140 पर चस्पा किया गया हैं, जिसके अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी, जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच जयपुर के यहां अपील संख्या 60/2010 दायर की, जिस पर राज0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये अपने आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की अपील खारिज कर न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय फास्ट ट्रेक नम्बर 3 अजमेर कैम्प किशनगढ का निर्णय दिनांक 30/11/2009 को यथावत रखा गया हैं, जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने राज0 उच्च न्यायालय के आदेश की निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार में पेश की, जिसको स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने विड्रो करवा ली, जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/2012 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय फास्ट ट्रेक नम्बर 3 अजमेर कैम्प किशनगढ का निर्णय दिनांक 30/11/2009 को ही वैध रखा गया है एवं उसकी पालना में जो विक्रय–पत्र तस्दीक किया गया है, उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के हक में राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण भी तस्दीक हो चुका हैं, इसलिये प्रथमतः यह बिन्दू विचारणीय है कि जब प्रतिवादी संख्या 4 के हक में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से विक्रय–पत्र निष्पादित करवाया है तथा क्रय के पश्चात से वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज काश्त है, इसलिये जब तक वादीगण द्वारा उक्त विक्रय–पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही करवा लिया जाता है, तब तक उक्त प्रकरण का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, इसी प्रकार द्वितीयतः यह बिन्दू विचारणीय है कि वादीगण जो कि प्रतिवादी संख्या 1 वारिसान है, जो एक ही परिवार के है, इसलिये जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को बैचान इकरारनामा दिनांक 13/01/2007 को किया गया है, उसकी जानकारी वादीगण को भलींभांति रही होगी। जो इकरारनामा दिनांक 13/01/2007 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में तस्दीक करवाया गया, उस इकरारनामे को वादीगण/अप्रार्थीगण किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दिया जाना, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है। इकरारनामा में अंकित शर्तो की पालना नही किये जाने से प्रतिवादी संख्या 4

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, महोदय, फास्ट ट्रेक नम्बर 3, अजमेर कैम्प, किशनगढ में वाद दायर किया गया। जिसके निर्णय दिनांक 30/11/2009 की पालना में प्रतिवादी संख्या 1/अप्रार्थी श्री राधेश्याम पुत्र श्री लादूराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 4/प्रार्थी श्री सत्यनारायण पुत्र श्री भंवरलाल के पक्ष में विक्रय–पत्र निष्पादित करवा दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 श्री राधेश्याम पुत्र श्री लादूराम द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, महोदय, फास्ट ट्रेक नम्बर 3, अजमेर कैम्प, किशनगढ के निर्णय दिनांक 30/11/2009 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर अपील संख्या 60/2010 प्रस्तुत की गयी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10/03/2010 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर के निर्णय दिनांक 10/03/2010 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी, जो विड्रो किये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी। उक्त समस्त तथ्यात्मक विश्लेषण से न्यायालय यह समझती है कि श्री राधेश्याम पुत्र श्री लादूराम के वारिसान के पास अब कोई अधिकार शेष नही रहते है कि वे किसी प्रकार का घोषणात्मक वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सके। अतः प्रथमदृष्ट्या हम प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (4) को स्वीकार कर वादीगण का वाद को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (4) जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4466, 4467, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4495, 4496, 4506, 4507, 4508, 4664, 4667, 4668, 4669, 4671 कुल किता 19 कुल रकबा 8.0100 हैक्टेयर वाके ग्राम धांधोली, तहसील दूदू बाबत् खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 2.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
(दूदू–जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner